

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

बनाम

दिनांक आशा व कार्यवाही	आशा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/12	पत्रावली पेश की। वकील वादी पक्षपाल... आदि... का पक्ष में। 12/12/2020	
13/12/20	पत्रावली आज पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील के द्वारा महसूलदार बस्सी से प्राप्त श्रेणियों का अवलोकन किया गया। वे अवलोकन पश्चात् महसूलदार बस्सी से प्राप्त विभाजन पर को स्वीकार कर आर्थिक विभाजन प्रस्ताव वाद पक्ष को अन्तिम डिमी किम्वे जाने को न्यायालय द्वारा से लिये गये किम्वे। एवं प्रतिवादी सख्त 2 के द्वारा को और से उसका छत्र कमल उपस्थित। इस के द्वारा अपगत कराया गया कि उसके पिताजी प्रतिवादी सख्त 2 आज लोखण खराब होने से न्यायालय में नहीं आ सकते हैं अतः महसूलदार बस्सी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को प्रतिवादी सख्त 2 के द्वारा के द्वारा अवलोकन कर विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की गई एवं सहमति स्वरूप पत्रावली पर हस्ताक्षर कर अन्तिम डिमी किम्वे जाने बाद पक्ष को न्यायालय द्वारा को अधिसूचना पर नोट अर्जित किया गया। अतः सहमति के आधार पर पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं महसूलदार बस्सी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को न्यायालय द्वारा के द्वारा सावधानी पूर्वक अवलोकन किया गया।	<p>प्रतिवादी सख्त 2 के द्वारा</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>कमल कमल</p> <p>अन्तिम डिमी</p> <p>वादी किम्वे</p> <p>जाने में कोई</p> <p>डास्पती नहीं</p> <p><i>(Signature)</i></p>

*(Signature)* Name

उक्त अवलोकन पर्याप्त तरीका का बाद पर  
प्रथम के आधार पर वार्षिक विभाजन प्रस्ताव  
अनिवार्य डिपॉजिट किया जाता है। अनिवार्य डिपॉजिट पर  
जारी है। व्यापारिक धारा के निर्णय के अन्तर्गत  
डिपॉजिट की धारा प्रति के साथ मूलवादा की धारा प्रती  
के साथ वास्तविक पालना हेतु महसूलवार वरुसी  
को भेजा जावे। ५

प्रावली प्रेमल कुमार लेकर पत्र नम्बर  
के कम लेख पर पारित्वल पत्रावर हॉ।

निर्णय आज दिनांक 12/3/2020 को खुले  
व्यापारिक डेव से वजलारु सुनाया गया।

Name  
जयप्रिया कलक्टर एवं निरक्षर  
वर्ना प्रिया-अक्षर

नाम न्य

या

दिनांक आज  
या कार्यवाही